प्रेस विज्ञप्ति
08.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने हिरेन भानु और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित लगभग 16.95 करोड़ रुपये मूल्य की 33 अचल और चल संपत्तियों (फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस, फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय और कृषि भूमि आदि) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने बैंक की लगभग 122 करोड़ रुपये की नकदी के गबन की जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि एनआईसीबीएल के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश प्रवीणचंद्र मेहता ने लेखा प्रणाली में हेराफेरी करके और बैंक शाखाओं के बीच नकदी हस्तांतरण के फर्जी रिकॉर्ड बनाकर बैंक की धनराशि को गबन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने लंबे समय से धनराशि निकालने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी पता चला कि ये गतिविधियां बैंक के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हिरन रणजीत भानु के इशारे पर की गई थीं, जिन्होंने कई वर्षों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से बैंक के संचालन पर नियंत्रण रखा था। हिरन भानु की पत्नी गौरी हिरन भानु, जिन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, भी गबन की गई धनराशि से लाभान्वित होने वालों में से एक पाई गईं। आरोप है कि हिरेन भानु और उनकी पत्नी ने मिलकर कम से कम 26 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त की है।

जांच में यह भी पता चला है कि हिरेन भानु ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े कुछ उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत करके, बिना किसी विक्रय मूल्य का भुगतान किए भारत के बाहर स्थित कंपनी/व्यावसायिक इकाई का अधिग्रहण कर लिया और बाद में उन विदेशी कंपनियों के खातों में धनराशि प्राप्त करने के लिए भी समझौता किया, जो कि कुछ ऐसे भारतीय उधारकर्ताओं के माध्यम से किया गया था जिन्हें एनआईसीबी बैंक द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण स्वीकृत किए गए थे।

मुंबई स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और हिरेन भानु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के साथ-साथ उद्घोषणा कार्यवाही भी जारी की गई है। यह भी देखा गया है कि आरोपी वर्तमान में भारत से बाहर हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा, बैंक से व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित की गई धनराशि का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक और उसके जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई है।